रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082021-228832
CG-DL-E-09082021-228832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2971] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943
No. 2971] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SHRAVANA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2021

का.आ. 3202(अ).—भारत सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 75 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेंट ए कैब स्कीम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम रेंट ए कैब (संशोधन) स्कीम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेंट ए कैब स्कीम, 1989 के पैरा 1 के, खंड (3) में "जारी किए गए हैं" के पश्चात् "और इस अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों द्वारा बैटरी से चलने वाली यान कैबों और मेथेनाल एवं एथेनाल से चलने वाली यान कैबों को छूट प्राप्त होगी," अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी-11036/104/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 437(अ) तारीख 12 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा का.आ. 808 (अ), तारीख 28 नवंबर, 1991 द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2021

S.O. 3202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 75 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Rent-a-Cab Scheme, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) This scheme may be called the Rent-a-Cab (Amendment) Scheme, 2021.

 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rent-a-Cab Scheme, 1989, in paragraph 1, in clause (3), after the words and figures "section 88 of the Act", the following shall be inserted, namely: -

 "and the battery operated motor cabs and motor cabs driven on methanol and ethanol exempted from the provisions of section 66 of the Act,".

[F. No. RT-11036/104/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O.437 (E), dated the 12th June, 1989 and was last amended *vide* S.O. 808(E), dated the 28th November, 1991.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.09 22:30:56 +05'30'